letter 2020 R

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/सडक–पुलिया कनबई खेरवाडा/2020–21/2823-33 दि. 22/01/2021

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय– सडक निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग : विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 1546–52 दिनांक 14.01.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा निम्नलिखित डामरीकरण सडक निर्माण कार्य की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के कम में अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड खेरवाडा का पत्रांक स्पे–1 (केम्प उदयपुर) दिनांक 27.12.2020 से प्राप्त तकमिना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार राशि रू. 295.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है –

कार्यकारी एजेन्सी–सार्वजनिक निर्माण विभाग **(राशि लाखों में)**

क्र	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त देय राशि
		क./दि.	राशि	
1	2			
1	कनबई से लक्ष्मणपुरा गुजरात सीमा तक सडक 2 कि.मी. मय पुलिया निर्माण कार्य	26/2020-21	295.60	100.00

उपरोक्त कार्य की कुल राशि 295.60 लाख के विरूद्व प्रथम किश्त 100.00 लाख की राशि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या–05/2020–21 दिनांक 14.07.2020 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि रू. 433.05 लाख में से उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को देय होगी। **कार्य का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन कराया जावे। शेष राशि कार्यो की प्रगति एवं हस्तांतरित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।**

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्वि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्वि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
4. राशि का व्यय तकनिकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा मे सम्पादित किया जावें। तकनीकी एस्टीमेट एवं स्वीकृति के आधार पर विभाग कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी कार्यादेश एवं नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पुर्वानुमति से नहीं किया जावे। **कार्यादेश की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावें।**

5. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावें जिन्हें विभागीय वेब–साईड पर अपलोड किया जा सकें।
6. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तांतरित की जायेगी एवं कार्यो के उपयोगिता एवं कार्य पूर्णता-प्रमाण–पत्र प्राप्त कर एवं समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
7. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)IAS
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/ सडक–पुलिया कनबई खेरवाडा/2020–21/2323-33 दि.22/01/2021
प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव,माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर, उदयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
6. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत उदयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया कार्य का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चिंत करें।
7. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड खेरवाडा जिला उदयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया कार्यो का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
8. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे शासन से विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत संख्या–05/2020–21 दिनांक 14.07.2020 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि रू. 433.05 लाख में से प्रथम किश्त 100.00 लाख जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को राशि हस्तान्तरण करावें।
9. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
10. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, ~~गार्ड पत्रावली~~ कार्यालय हाजा।।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in ,Website www.tad.rajasthan.gov.in